राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या ....1473, 1474, 1475, एवं 1476/2017.....जिला.....कोटा.....

उनवान – मैसर्स कल्याणी कामर्शियल लि0 ए–165, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा बनाम 1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–प्रथम, राज0 जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/11/2017	**खण्डपीठ** **श्री नत्थूराम, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पारस पाटनी एवं विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। ये चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"**कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 25.09.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18, 25, 55 एवं 61 सपठित धारा 75(8) राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 174 के तहत कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किये गये हैं, के संबंध में प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों में, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करते हुये शास्ति को स्थगित रखा है तथा कर व ब्याज को यथावत रखा है जिसके विरूद्ध यह पाचों अपीलें धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है जिनका विवरण नीचे लिखी तालिकानुसार दर्शाया जा रहा है :–	

अ.सं.	क. नि. वर्ष	रिवर्स कर	शास्ति	ब्याज
1473/17	2012–13	21,28,152/–	42,56,304/–	12,34,544/–
1474/17	2013–14	1,57,46,276/–	3,14,92,552/–	72,44,172/–
1475/17	2014–15	15472518/–	3,09,45,036/–	52,61,446/–
1476/17	2015–16	67,10,227/–	1,34,20,454/–	14,76,319/–

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र में कर व ब्याज को यथावत रखा है एवं शास्ति को अपास्त करते हुए उपरोक्त अपीलें आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नहीं किये हैं। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में उनके द्वारा टाटा मोटर्स लि0 से वाहनों की खरीद की जाकर वाहनों की राज्यान्तर्गत एंव राज्य के बाहर वैट एवं सीएसटी वसूल करते हुए की जाती है तथा आई.टी.सी. का समायोजन लिया जाता है। अपीलार्थी का क्लेम की गई आई.टी.सी. से अधिक है। अतः अपीलार्थी पर धारा 18(3A) के प्रावधान लागू नही होते हैं। उनका अग्रिम कथन है कि प्रत्येक खरीद, इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं आउटपुट टैक्स के संव्यवहार नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज है एवं अपीलार्थी पर

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....1473, 1474, 1475, एवं 1476/2017.....जिला.....कोटा.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	– 2 –	

कोई कर देयता आकर्षित नही होती। अतः अपीलार्थी पर शास्ति एवं ब्याज का आरोपण विधिसम्मत नही है। अतः प्रकरणों में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित कर व ब्याज की बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी एवं बकाया मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में उनके द्वारा टाटा मोटर्स लि0 से वाहनों की खरीद की जाकर वाहनों की राज्यान्तर्गत एंव राज्य के बाहर वैट एवं सीएसटी वसूल करते हुए की जाती है तथा आई.टी.सी. का समायोजन लिया जाता है। अपीलार्थी का क्लेम किया गया आगत कर (Input Tax) निर्गत कर (Output Tax) से अधिक है जो राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनिमय, 2003 की धारा 18 (3A) के विधिक प्रावधान के अनुरूप नही है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्पष्ट विधिक प्रावधान के संबंध में है जिससे अच्छे हेतुक (Good Cause) की श्रेणी में नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में नही माना जा सकता। प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में नहीं बनने के कारण सुविधा का संतुलन व महत्त्वपूर्ण क्षति का बिन्दू भी अपीलार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। इस प्रकार अपीलार्थी का कर व ब्याज के संबंध में स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त प्रकरणों में प्रस्तुत अपीलें मय रोक प्रार्थना पत्रों को कर व ब्याज की सीमा तक अस्वीकार किये जाते है परन्तु अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में अपील का निस्तारण शीघ्र करने की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय की मूल प्रति पृथक से प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य